

1.6

प्रपत्र-30

Form-I

(for linear Project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwar

No- Memorandum

Dated- 11.3.2016

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **4.103 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT for Construction of Fatgali-Dhamoli-Malujhal-Okhalsoo motor road** in Bageshwar district falls within jurisdiction of **Dhamoli-Malujhal and Okhalsoo** villages in Bageshwar Tehsil.

It is further certified that:-

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **4.103 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30 to annexure 30-3.
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl- As above.

Dated 11.3.2016

Signature

(Bhupal Singh Manral,)

District Collector

Seal

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में फटगली-धमोली-मालूझाल-ओखलसौं मोटर मार्ग निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम-मालूझाल (तोक-तालड़)
तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में फटगली-धमोली-मालूझाल-ओखलसौं मोटर मार्ग निर्माण कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (1.111 है० आरक्षित वन भूमि, 2.992 है० सिविल सोयम भूमि, 0.000 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 4.103 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मालूझाल द्वारा दिनांक 9-12-17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत मालूझाल के तोक-तालड़ ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह० / ग्राम पंचायत मालूझाल
ग्राम सचिव

ह० /
ग्राम प्रधान
ग्राम पंचायत मालूझाल
वि०ख० बागेश्वर
जिला बागेश्वर

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में फटगली-धमोली-मालूझाल-ओखलसों मोटर मार्ग निर्माण।

दिनांक 9.12.17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम-मालूझाल (तोक-तालड़)

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	श्री मोहन सिंह S/o पान सिंह रावल	मोहन सिंह
2	श्री हरक सिंह S/o " " "	हरक सिंह
3	श्री दिपान सिंह S/o " " "	दीवान सिंह
4	श्री कु-दास सिंह S/o अमर सिंह "	कुन्दन सिंह
5	श्री दीवान सिंह S/o जैन्त सिंह (माई)	दीपान सिंह
6	श्रीमती अश्वती देवी S/o राजा सिंह (माई)	अश्वती देवी
7	" मोहन देवी S/o लालचन्द सिंह (माई)	मोहन देवी
8	श्री शिव चन्द सिंह S/o मोहन सिंह "	शिव
9	" धन सिंह S/o जैन्त सिंह "	धन सिंह
10	धरम सिंह S/o शिव सिंह "	धरम सिंह
11	लालचन्द सिंह S/o शिव सिंह (माई)	लालचन्द सिंह
12	कुमार सिंह S/o दुर्गा देवी	दुर्गा देवी
13	देवेन्द्र सिंह S/o दीवान सिंह	देवेन्द्र सिंह
14	गाराधन सिंह S/o शोकन सिंह	गाराधन सिंह
15	शिव सिंह S/o लन्चे सिंह	शिव
16	नन्दन सिंह S/o अमर सिंह	नन्दन सिंह
17	रतन सिंह S/o लक्ष्मण सिंह	रतन सिंह
18	सुन्दर सिंह S/o दुर्गा सिंह	सुन्दर सिंह
19	किशन सिंह S/o जमन सिंह	किशन सिंह
20	रतन सिंह S/o विजय सिंह	रतन सिंह
21	देवकी देवी S/o मोहन सिंह	देवकी देवी
22	हमा देवी S/o अमर सिंह	हमा देवी
23	अश्वती देवी S/o राजन सिंह	अश्वती देवी

जय

दीपा देवी ७०/० जगदीश सिंह

प्रताप सिंह ७०/० देव सिंह

प्रजोद सिंह ९१० ओदन सिंह

जोपाल सिंह ९१० लाल सिंह

अचे सिंह ९१० तेज सिंह

प्रताप सिंह ९१० लीलोक सिंह

आधवी देवी ७०/० खडक सिंह

अम्पा देवी ७०/० ह्यात सिंह

ओदन सिंह ९१० ओदन दान सिंह

दीपा देवी

प्रताप सिंह रावल

Bhawal Singh Raval

गोपाल सिंह

बन्ने सिंह
प्रताप सिंह

माधवी देवी

ओदन सिंह

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में फटगली-धमोली-मालूझाल-ओखलसौं मोटर मार्ग निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम-फटगली (तोक-कमोल)
तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में फटगली-धमोली-मालूझाल-ओखलसौं मोटर मार्ग निर्माण कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (1.111 है० आरक्षित वन भूमि, 2.992 है० सिविल सोयम भूमि, 0.000 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 4.103 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत फटगली द्वारा दिनांक 11.12.17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत फटगली के तोक-कमोल ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह० /

ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
जनपद बागेश्वर
तहसील बागेश्वर

Shree
प्रधान

ग्राम पंचायत फटगली
वि०ख०/जिला- बागेश्वर

ह० /

ग्राम प्रधान

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

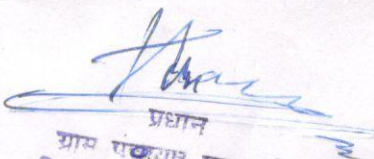
1.6
प्रपत्र-30.1

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में फटगली-धमोली-मालूझाल-ओखलसौं मोटर मार्ग निर्माण।

दिनांक...11.12.17...को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम-फटगली (तोक-कमोल)

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	किशन राम S/O रवीश राम	किशन राम
2-	मनोज राम S/O लीक राम	मनोज राम
3-	रमेश राम S/O किशन राम	रमेश राम
4-	राजन राम S/O किशन राम	राजन राम
5-	गोविंद राम S/O रमेश राम	गोविंद राम
6-	श्याम लाल S/O गोपाल राम	श्याम लाल
7-	नन्दी देवी S/O हरिहर राम	नन्दी देवी
8-	चन्दन राम S/O मोहन राम	चन्दन राम
9-	जैश राम S/O प्रमन राम	जैश राम
10-	सीताराम S/O जोगाराम	सीताराम
11-	चन्दन राम S/O मोहन राम	चन्दन राम
12-	गोपाल राम S/O लालू राम	गोपाल राम


 प्रधान
 ग्राम पंचायत फटगली
 वि० सं०/जिला- बागेश्वर

1.6

प्रपत्र-30

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में फटगली-धमोली-मालूझाल-ओखलसौं मोटर मार्ग निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम-ओखलसौं (तोक-ओखलसौं)
तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर के उत्तराखण्ड में फटगली-धमोली-मालूझाल-ओखलसौं मोटर मार्ग निर्माण कार्य (परियोजना) के निर्माण हेतु (1.111 है० आरक्षित वन भूमि, 2.992 है० सिविल सोयम भूमि, 0.000 है० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 4.103 है० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ओखलसौं द्वारा दिनांक 14-12-17 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पंचायत ओखलसौं के तोक-ओखलसौं ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ह०/

ग्राम सचिव

ह०/

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत ओखलसौं
जनपद बागेश्वर

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरा उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

1.6
प्रपत्र-30.1

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में फटगली-धमोली-मालूझाल-ओखलसौं मोटर मार्ग निर्माण।

दिनांक 14.12.17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम-ओखलसौं (तोक-ओखलसौं)

क्र० सं०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	बलवन्तसिंह पुत्र स्वर्गी पानसिंह	Balwant Singh
2	चन्द्रसिंह पुत्र जमनसिंह	Chander Singh
3	पुनमसिंह पुत्र स्वर्गी पानसिंह	Punam Singh
4	देवीसिंह पुत्र स्वर्गी पानसिंह	Devi Singh
5	रामसिंह पुत्र स्वर्गी पानसिंह	Ram Singh
6	कुन्दनसिंह पुत्र " कुशलसिंह	Kundan Singh
7	पुनमसिंह " " लक्ष्मणसिंह	Punam Singh
8	लक्ष्मणसिंह " " लक्ष्मणसिंह	Laxman Singh
9	देवीशानन्दसिंह	Devi Shannand Singh
10	रवीमण्डसिंह	Ravi Mand Singh
	भूपाल सिंह	Bhupal Singh
	इन्द्र सिंह	Indra Singh
	सुरेश सिंह	Suresh Singh
	सूर सिंह	Sur Singh
	चनर सिंह	Chanar Singh

मुन्नी देवी
प्रधान
ग्राम पंचायत ओखलसौं
ज. जनपद-बागेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में फटगली-धमोली-मालूझाल-ओखलसों मोटर मार्ग का निर्माण ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम मालूझाल
तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

अनापत्ति प्रमाण पत्र

जनपद बागेश्वर उत्तराखण्ड में फटगली-धमोली-मालूझाल-ओखलसों मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु (1111 है0 आरक्षित वन भूमि, 2-992 है0 सिविल सोयम भूमि, 0-00 है0 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 4.103 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग विभाग/ संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मालूझाल द्वारा दिनांक 18-02-2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वनभूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्पत्ति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मालूझाल एवं तोक धमोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी

अ.प्र.
18-02-2016

वन पंचायत

फटगली/धमोली/मालूझाल/ओखलसों
मोटर मार्ग का निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत मालूझाल
तहसील बागेश्वर जिला बागेश्वर

नोट:- * यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय। उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में फटगली-धमोली-मालूझाल-ओखलसों मोटर मार्ग का निर्माण ।

दिनांक...18.02.2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ...मालूझाल

क्र० स०	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	नारायण सिंह मालूझाल	नारायण सिंह
2.	बलवंत सिंह	बलवंत सिंह
3.	दिवान सिंह	दिवान सिंह
4.	कुन्द सिंह	कुन्द सिंह
5.	शिव-लाल सिंह	शिव-लाल सिंह
6.	जगदीश सिंह	जगदीश सिंह
7.	दीवान सिंह	दीवान सिंह
8.	गुन्दन सिंह	गुन्दन सिंह
9.	प्रताप सिंह	प्रताप सिंह
10.	कुन्द सिंह	कुन्द सिंह
11.	प्रताप सिंह	प्रताप सिंह
12.	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
13.	कुन्द सिंह	कुन्द सिंह
14.	शिव सिंह	शिव सिंह
15.	प्रताप सिंह	प्रताप सिंह
16.	लाल सिंह	लाल सिंह
17.	दिवान सिंह	दिवान सिंह
18.	कचै सिंह	कचै सिंह
19.	शान सिंह	शान सिंह
20.	कुन्द सिंह	कुन्द सिंह
21.	बलवंत सिंह	बलवंत सिंह
22.	दीवान सिंह	दीवान सिंह

१८/०२/१६

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
प्रपत्र-30.1
जनपद-बागेश्वर

उधन

ग्राम पंचायत मालूझाल
खिला व जिला-बागेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में फटगली-धमोली-मालूझाल-ओखलसों मोटर मार्ग का निर्माण ।

कार्यालय उप जिलाधिकारी बागेश्वर
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति- बागेश्वर

उपखण्ड बागेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत फटगली-धमोली-मालूझाल-ओखलसों मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 1.00 है० आरक्षित वनभूमि, 2.992 है०, सिविल सोयम वन भूमि, ०.०० है०, वन पंचायत भूमि (अर्थात् कुल 4.103 है० वन भूमि) लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, तहसील बागेश्वर की दिनांक 10.03.2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण ।

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री फिचाराम चौहान, उपजिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	श्री फिचाराम चौहान	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	श्री एस०एन० त्रिपाठी	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3-	श्री कै०एस०रावत	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4-	श्री श्री देवी देवी	बी०डी०सी० क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों को सूचित करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुपस्थिति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि फटगली-धमोली-मालूझाल-ओखलसों मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 4.103 है० भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। भूमि का सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

सम्बन्धित उप प्रभागीय वनाधिकारी वन प्रभाग बागेश्वर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बन्धी नियम 2 के प्राविधानों को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

वैठक में सर्वसम्मति से उपखंड बागेश्वर परिक्षेत्र के अन्तर्गत फटगली-धमोली-मालूझाल-ओखलसों मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4-10-82 है० वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील बागेश्वर
जनपद बागेश्वर

प्रतिलिपि, जिलाधिकारी, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील बागेश्वर
जनपद बागेश्वर

प्रभागीय वन अधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जनपद बागेश्वर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रस्ताव

1-	जिलाधिकारी, बागेश्वर	अध्यक्ष
2-	प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर	सदस्य
3-	जिला पंचायत सदस्य	सदस्य
4-	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/ सचिव

आज दिनांक 11.03.2016 को जिलास्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर की अध्यक्षता में आहूत की गयी।

उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति गरुड़ के प्रमाण पत्र दिनांक 10.03.2016 द्वारा फटगली-धमोली-मालूझाल-ओखलसों मोटर मार्ग के लिए 4.103 है0 भूमि आवंटन हेतु अनापत्ति प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा फटगली-धमोली-मालूझाल-ओखलसों मोटर मार्ग के लिए वनभूमि परिवर्तित किये जाने को प्रस्ताव प्राप्त हुआ।

जिलास्तरीय वनाधिकार समिति जनपद बागेश्वर द्वारा उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बागेश्वर के उक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। वनभूमि के स्वरूप को परिवर्तन कर फटगली-धमोली-मालूझाल-ओखलसों मोटर मार्ग के लिए 4.103 है0 उपलब्ध कराये जाने का निर्णय लिया गया है तथा फटगली-धमोली-मालूझाल-ओखलसों मोटर मार्ग के लिए 4.103 है0 भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु अनापत्ति दी गई। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

जिलाधिकारी
बागेश्वर
जिलाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

परियोजना का नाम:- जनपद बागेश्वर में फटगली-धमोली-मालूझाल-ओखलसों मोटर मार्ग का निर्माण ।

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत वनभूमि पर प्रस्तावित फटगली-धमोली-मालूझाल-ओखलसों मोटर मार्ग (परियोजना) के निर्माण हेतु 4.103 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बागेश्वर तथा सम्बन्धित ग्राम सभा द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये हैं। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत व संलग्न प्रमाण पत्रों के अनुसार परियोजना के निर्माण में किसी अनुसूचित जनजाति व वनवासी की भूमि अधिगृहित नहीं हो रही है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाली वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है।

दिनांक 11.3.2016

(भूपाल सिंह मनराल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर
मुहर

नोट:- उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रायोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करया जायेगा।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर